

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: एस.पी.एम.यू. / एन.यू.एच.एम. / जे.ए.एस. / 2023-24 / 55 / 3990 दिनांक: 11, अगस्त 2023
विषय: नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ वेलनेस सेंटर तथा अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर पर¹
जन आरोग्य समिति गठन किये जाने के संबंध में दिशा निर्देश।

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जनसमुदाय को उनके घर के समीप व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (आरोग्य केन्द्र) में उच्चीकृत किया जा रहा है। साथ ही 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भी शहरी क्षेत्रों में नगरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर संचालित किये जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों के कम में इन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ वेलनेस सेंटर तथा 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संचालित हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के द्वारा जन समुदाय को गुणवत्ताप्रकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाये प्रदान करने एवं हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के संचालन में पारदर्शिता व जनसहभागिता सुनिश्चित किये जाने हेतु जन आरोग्य समिति का गठन किया जाना है। जन आरोग्य समिति की संरचना निम्नवत है—

अध्यक्ष	: स्थानीय नगरीय निकाय के वार्ड सदस्य, जहाँ यूपीएचसी-एचडब्ल्यूसी / अर्बन एचडब्ल्यूसी स्थित है)
सह अध्यक्ष	: यूपीएचसी-एचडब्ल्यूसी- नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र या लिंक्ड चिकित्सा इकाई के चिकित्सा अधीक्षक। अर्बन एचडब्ल्यूसी- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या लिंक्ड चिकित्सा इकाई के प्रभारी चिकित्साधिकारी।
सदस्य सचिव	: यदि यूपीएचसी-एचडब्ल्यूसी / अर्बन एचडब्ल्यूसी से जुड़ी कोई स्वास्थ्य इकाई नहीं है तो जिला नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन सह अध्यक्ष होंगे।
पदेन सदस्य	: नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर / अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के प्रभारी चिकित्साधिकारी।
सामान्य सदस्य	: अध्यक्ष, स्वास्थ्य उप समिति, स्थानीय निकाय; महिला एवं बाल विकास विभाग की क्षेत्र सुपरवाइजर; पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट (पीएचईडी) / स्वच्छ भारत मिशन का प्रतिनिधि; स्थानीय निकाय स्वास्थ्य/सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग प्रतिनिधि; स्थानीय शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि/सरकारी स्कूल का प्राधानाचार्य/प्राइवेट स्कूल का प्राधानाचार्य (यदि क्षेत्र में सरकारी स्कूल नहीं हैं तो); नेहरू युवा केन्द्र संगठन के प्रतिनिधि; राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन/शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का प्रतिनिधि; एबी-एचडब्ल्यूसी का कोई अन्य चिकित्साधिकारी; एबी-एचडब्ल्यूसी की वरिष्ठ स्टाफ नर्स/एल.एच.वी; क्षेत्र से दो महिला आरोग्य समिति के अध्यक्ष; एबी-एचडब्ल्यूसी के क्षेत्र से आशा (अधिकतम पाँच); एबी-एचडब्ल्यूसी की समस्त ए०एन०एम०; क्षेत्र की रेजिडेंट वेलफेर एसोसिएशन (पंजीकृत)/रेजिडेंट वेलफेर एसोसिएशन फेडरेशन से 01 प्रतिनिधि।
विशेष आमंत्री	: एबी-एचडब्ल्यूसी (यूपीएचसी-एचडब्ल्यूसी तथा अर्बन एचडब्ल्यूसी) के कार्यक्षेत्र के दो क्रियाशील व सक्रिय महिला स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष; क्षेत्र के शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत दो स्थानीय आजीविका समूहों के अध्यक्ष; क्षेत्र के आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेसेडर में से एक प्रतिनिधि; क्षेत्र के दो स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि; स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर स्वास्थ्य अथवा स्वास्थ्य के निर्धारकों से निकट संबंध वाले विभाग/कार्यक्रम से 02 प्रतिनिधि। (टीबी रोग)/कैंसर के सफल इलाज से ठीक हुआ व्यक्ति, ट्रांसजेण्डर, दिव्यांग व्यक्ति, युवा प्रतिनिधि तथा पुरुष लाभार्थी जिसने एक/दो बच्चों के पश्चात् नसबन्दी अपनायी हो।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेत्थ एण्ड वेलनेस सेंटर तथा अर्बन हेत्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर में जन आरोग्य समिति हेतु Zero Balance, Subsidiary Account बैंक खाता राज्य स्तर से खोला जायेगा, जिसका संचालन जन आरोग्य समिति समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। जन आरोग्य समिति के बैंक खाता खोलने हेतु सूचनायें निम्न प्रारूप पर राज्य स्तर पर प्रेषित की जायें।

क्र. सं.	नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अर्बन हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का नाम	ब्लाक / शहर का नाम	जनपद का नाम	स्टेट बैंक आफ इण्डिया की निकटतम शाखा का नाम	स्टेट बैंक आफ इण्डिया की निकटतम शाखा का आई.एफ.एस.सी. कोड	अन्य

जन आरोग्य समिति के खाते में अर्बन हेत्थ एण्ड वेलनेस सेंटर हेतु अनुमन्य असम्बद्ध(untied) धनराशि का आवंटन किया जायेगा। जन आरोग्य समिति की बैठक में लिए गये निर्णयों एवं अनुमोदन के अनुसार ही जन आरोग्य समिति के खातों में उपलब्ध असम्बद्ध(untied) धनराशि का उपयोग किया जायेगा। ऐसी गतिविधियां जिनके लिए अन्य मद में धनराशि उपलब्ध है, हेतु असम्बद्ध धनराशि व्यय नहीं की जा सकती है। समस्त भुगतान राज्य सरकार के वित्तीय दिशा-निर्देशों के अनुसार PFMS से ही किये जाये।

आयुष्मान भारत के अन्तर्गत प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर को ₹ 250000/- प्रतिवर्ष तथा प्रति अर्बन हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर को ₹ 100000/- प्रतिवर्ष आवंटित किया किया जायेगा। भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु आपरेशनल व्यय (बिजली, टेलिफोन बिल, स्टेशनरी, ओ.पी.डी. स्लिप, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, विभिन्न रजिस्टर, इत्यादि) हेतु व्यय की जानी वाली धनराशि को सम्बन्धित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवंटित Untied Fund में सम्प्रिलित कर दिया गया है। अतः नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के आपरेशनल व्यय पूर्व स्वीकृत ₹ 8000/- प्रतिमाह की सीमा के अन्तर्गत जन आरोग्य समिति के अनुमोदन के अनुसार व्यय किये जा सकेंगे।

जन आरोग्य समिति की बैठक प्रत्येक माह द्वितीय शुक्रवार को आयोजित की जाये। जिला स्वास्थ्य समिति द्वितीय शुक्रवार के स्थान पर माह में कोई अन्य दिवस निर्धारित कर सकती है।

जन आरोग्य समिति को प्रभावशाली तरीके से संचालित करने हेतु समिति के पदाधिकारियों तथा सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी क्षमतावर्धन की जाये। जन आरोग्य समिति के पदाधिकारियों तथा सदस्यों का अभिमुखीकरण / प्रशिक्षण / मैटरिंग ऑन-लाइन, ऑफ-लाइन तथा समय-समय पर प्रेषित किये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप कराया जायेगा। जन आरोग्य समिति के गठन के सम्बंध में विस्तृत दिशा निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा है संलग्न दिशा निर्देश के अनुसार जन आरोग्य समिति के गठन एवं संचालन के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
संलग्नक— यथोक्त (5)

भवदीय,

Princy

(डॉ पिंकी जोधल)
मिशन निदेशक

11/8/23

तददिनांक—

पत्रांक: एस.पी.एम.यू./एन.यू.एच.एम./जे.ए.एस./2023-24/55/

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित :-

- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०।
- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ०प्र०।
- समस्त अपर निदेशक, विकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०।
- समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक / अर्बन हेत्थ कंसल्टेंट / रीजनल मैनेजर (कम्यूनोप्र०) उ०प्र०।
- समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक / अर्बन हेत्थ कोआर्डिनेटर उ०प्र०।

(डॉ सलिल कुमार श्रीवास्तव)
महाप्रबन्धक एन.यू.एच.एम

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: एस.पी.एम.यू./एन.यू.एच.एम./जे.ए.एस./2023-24/55/

दिनांक : 11 अगस्त 2023

विषय: नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ वेलनेस सेंटर तथा अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर पर¹
जन आरोग्य समिति गठन किये जाने के संबंध में दिशा निर्देश।

महोदय / महोदया,

आप अवगत हैं कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जनसमुदाय को उनके घर के समीप व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर (आरोग्य केन्द्र) में उच्चीकृत किया जा रहा है। साथ ही 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भी शहरी क्षेत्रों में नगरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर संचालित किये जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों के कम मे इन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ वेलनेस सेंटर तथा 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संचालित हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के द्वारा जन समुदाय को गुणवत्तापरक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाये प्रदान करने एवं हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के संचालन मे पारदर्शिता व जनसहभागिता सुनिश्चित किये जाने हेतु जन आरोग्य समिति का गठन किया जाना है। जन आरोग्य समिति की संरचना निम्नवत है-

अध्यक्ष	: स्थानीय नगरीय निकाय के वार्ड सदस्य, जहाँ यूपीएचसी-एचडब्ल्यूसी / अर्बन एचडब्ल्यूसी स्थित हैं)
सह अध्यक्ष	: यूपीएचसी-एचडब्ल्यूसी- नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र या लिंक्ड चिकित्सा इकाई के चिकित्सा अधीक्षक। अर्बन एचडब्ल्यूसी- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या लिंक्ड चिकित्सा इकाई के प्रभारी चिकित्साधिकारी । यदि यूपीएचसी-एचडब्ल्यूसी / अर्बन एचडब्ल्यूसी से जुड़ी कोई स्वास्थ्य इकाई नहीं है तो जिला नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन सह अध्यक्ष होंगे।
सदस्य सचिव	: नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर / अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के प्रभारी चिकित्साधिकारी।
पदेन सदस्य	: अध्यक्ष, स्वास्थ्य उप समिति, स्थानीय निकाय; महिला एवं बाल विकास विभाग की क्षेत्र सुपरवाइजर; पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट (पीएचईडी)/स्वच्छ भारत मिशन का प्रतिनिधि; स्थानीय निकाय स्वास्थ्य/सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग प्रतिनिधि; स्थानीय शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि/सरकारी स्कूल का प्राधानाचार्य/प्राइवेट स्कूल का प्राधानाचार्य (यदि क्षेत्र मे सरकारी स्कूल नहीं है तो); नेहरू युवा केन्द्र संगठन के प्रतिनिधि; राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन/शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का प्रतिनिधि; एबी-एचडब्ल्यूसी का कोई अन्य चिकित्साधिकारी; एबी-एचडब्ल्यूसी की वरिष्ठ स्टाफ नर्स/एल.एच.वी; क्षेत्र से दो महिला आरोग्य समिति के अध्यक्ष; एबी-एचडब्ल्यूसी के क्षेत्र से आशा (अधिकतम पाँच); एबी-एचडब्ल्यूसी की समस्त ए०एन०एम०; क्षेत्र की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (पंजीकृत) /रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन फेडरेशन से 01 प्रतिनिधि
सामान्य सदस्य	: एबी-एचडब्ल्यूसी (यूपीएचसी-एचडब्ल्यूसी तथा अर्बन एचडब्ल्यूसी) के कार्यक्षेत्र के दो कियाशील व सक्रिय महिला स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष; क्षेत्र के शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत दो स्थानीय आजीविका समूहों के अध्यक्ष; क्षेत्र के आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेसेडर मे से एक प्रतिनिधि; क्षेत्र के दो स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि; स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर स्वास्थ्य अथवा स्वास्थ्य के निर्धारकों से निकट संबंध वाले विभाग/कार्यक्रम से 02 प्रतिनिधि।
विशेष आमंत्री	(टीबी रोग) / कैंसर के सफल इलाज से ठीक हुआ व्यक्ति, ट्रांसजेण्डर, दिव्यांग व्यक्ति, युवा प्रतिनिधि तथा पुरुष लाभार्थी जिसने एक/दो बच्चों के पश्चात नसबन्दी अपनायी हो।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेतु एण्ड वेलनेस सेंटर तथा अर्बन हेतु एण्ड वेलनेस सेण्टर में जन आरोग्य समिति हेतु Zero Balance, Subsidiary Account बैंक खाता राज्य स्तर से खोला जायेगा, जिसका संचालन जन आरोग्य समिति समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। जन आरोग्य समिति के बैंक खाता खोलने हेतु सूचनायें निम्न प्रारूप पर राज्य स्तर पर प्रेषित की जायें।

क्र. सं.	नगरीय प्राथमिक स्वाठा केन्द्र एवं अर्बन हेतु एण्ड वेलनेस सेन्टर का नाम	ब्लाक/शहर का नाम	जनपद का नाम	स्टेट बैंक आफ इण्डिया की निकटतम शाखा का नाम	स्टेट बैंक आफ इण्डिया की निकटतम शाखा का आई.एफ.एस.सी. कोड	अन्य

जन आरोग्य समिति के खाते में अर्बन हेतु एण्ड वेलनेस सेंटर हेतु अनुमन्य असम्बद्ध(untied) धनराशि का आवंटन किया जायेगा। जन आरोग्य समिति की बैठक में लिए गये निर्णयों एवं अनुमोदन के अनुसार ही जन आरोग्य समिति के खातों में उपलब्ध असम्बद्ध(untied) धनराशि का उपयोग किया जायेगा। ऐसी गतिविधियां जिनके लिए अन्य मद में धनराशि उपलब्ध है, हेतु असम्बद्ध धनराशि व्यय नहीं की जा सकती है। समस्त भुगतान राज्य सरकार के वित्तीय दिशा-निर्देशों के अनुसार PFMS से ही किये जाये।

आयुष्मान भारत के अन्तर्गत प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेतु एण्ड वेलनेस सेन्टर को ₹0 250000/- प्रतिवर्ष तथा प्रति अर्बन हेतु एण्ड वेलनेस सेन्टर को ₹0 100000/- प्रतिवर्ष आवंटित किया जायेगा। भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु आपरेशनल व्यय (बिजली, टेलिफोन बिल, स्टेशनरी, ओ.पी.डी. स्लिप, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, विभिन्न रजिस्टर, इत्यादि) हेतु व्यय की जानी वाली धनराशि को सम्बन्धित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवंटित Untied Fund में सम्मिलित कर दिया गया है। अतः नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के आपरेशनल व्यय पूर्व स्वीकृत ₹0 8000/- प्रतिमाह की सीमा के अन्तर्गत जन आरोग्य समिति के अनुमोदन के अनुसार व्यय किये जा सकेंगे।

जन आरोग्य समिति की बैठक प्रत्येक माह द्वितीय शुक्रवार को आयोजित की जाये। जिला स्वास्थ्य समिति द्वितीय शुक्रवार के स्थान पर माह में कोई अन्य दिवस निर्धारित कर सकती है।

जन आरोग्य समिति को प्रभावशाली तरीके से संचालित करने हेतु समिति के पदाधिकारियों तथा सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी क्षमतावर्धन की जाये। जन आरोग्य समिति के पदाधिकारियों तथा सदस्यों का अभिमुखीकरण/प्रशिक्षण/मेंटरिंग ऑन-लाइन, ऑफ-लाइन तथा समय-समय पर प्रेषित किये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप कराया जायेगा। जन आरोग्य समिति के गठन के सम्बंध में विस्तृत दिशा निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा है संलग्न दिशा निर्देश के अनुसार जन आरोग्य समिति के गठन एवं संचालन के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक— यथोक्त

भवदीया,

(डॉ पिंकी जोवल)
मिशन निदेशक

पत्रांक: एस.पी.एम.यू./एन.यू.एच.एम./जे.ए.एस./2023-24/55/ 3990-8 तददिनांक—

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित :-

- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0।
- समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
- समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/अर्बन हेतु कंसल्टेंट/रीजनल मैनेजर (कम्यूनिटी) उ0प्र0।
- समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/अर्बन हेतु कोऑफिसियल उ0प्र0।

(डॉ सलिल कुमार श्रीवास्तव)
महाप्रबन्धक एन.यू.एच.एम

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर तथा अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर पर
जन आरोग्य समिति गठन किये जाने के संबंध में दिशा निर्देश।-2023-24

आप अवगत हैं कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जनसमुदाय को उनके घर के समीप व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (आरोग्य केन्द्र) में उच्चीकृत किया जा रहा है। साथ ही 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भी शहरी क्षेत्रों में नगरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर संचालित किये जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों के कम में इन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ वेलनेस सेंटर तथा 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संचालित हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के द्वारा जन समुदाय को गुणवत्तापरक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाये प्रदान करने एवं हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के संचालन में पारदर्शिता व जनसहभागिता जन आरोग्य समिति के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना है।

प्रदेश के समस्त जनपदों में क्रियाशील हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के सुचारू संचालन एवं असम्बद्ध धनराशि के उपयोग के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर पर जन आरोग्य समिति के गठन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश प्रेषित किये गये हैं। भारत सरकार के पत्र सं0 NHSRC/11/CP/08/MoHFW/P.F-61 दिनांक 21 जुलाई 2022 के माध्यम से नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संचालित अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु Addendum जारी किया गया है। उपरोक्त के कम में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संचालित अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु अनुमन्य अन्टाइड फण्ड के उपयोग हेतु जन आरोग्य समिति का गठन किया जाना है। उक्त के कम में नगरीय क्षेत्र के हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों को सम्मिलित करते हुये विस्तृत दिशा-निर्देश निम्नवत हैं :-

प्रस्तावना:-

1. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर पर दी जाने वाली सेवाओं में preventive, promotive, curative, palliative देखभाल एवं पुनर्वास सेवायें सम्मिलित हैं। भारत सरकार द्वारा प्रेषित दिशा-निर्देशों के क्रम में आयुष्मान भारत-हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर योजना से सार्वजानिक स्वास्थ्य भूमिका निभाने और स्वास्थ्य के सामाजिक और पर्यावरणीय निर्धारकों के लिए सामूहिक सामुदायिक कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित करने, सामाजिक जवाबदेही तथा सामुदायिक प्रतिक्रिया को बढ़ावा देना भी अपेक्षित है।
2. (क) नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु जन आरोग्य समिति के गठन एवं क्रियान्वयन के लिये Zero Balance, Subsidiary Account खाते में एन.एच.एम. की अनटाइड धनराशि की लिमिट जारी की जायेगी तथा व्यय किया जायेगा। एन.एच.एम. के अतिरिक्त प्राप्त धनराशि (अन्य प्राप्तियाँ) एवं इसके लिये व्यय किये जाने हेतु UPHC में आर.के.एस. बैंक खाते या जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदनोंपरान्त पृथक से बैंक खाता खोले जाने का निर्णय लिया जा सकता है। अन्य प्राप्तियों का व्यय समय-समय पर प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप उपयोग किया जायेगा।
- (ख) अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु जन आरोग्य समिति के गठन एवं क्रियान्वयन के लिये Zero Balance, Subsidiary Account खाते में एन.एच.एम. की अनटाइड धनराशि की लिमिट जारी की जायेगी तथा व्यय किया जायेगा। एन.एच.एम. के अतिरिक्त प्राप्त धनराशि (अन्य प्राप्तियाँ) एवं इसके लिये व्यय किये जाने हेतु जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदनोंपरान्त पृथक से बैंक खाता खोले जाने का निर्णय लिया जा सकता है। अन्य प्राप्तियों का व्यय समय-समय पर प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप उपयोग किया जायेगा।
3. स्पष्ट है कि इस योजना के अन्तर्गत नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर द्वारा दी जा रही सेवाओं और जिम्मेदारियों का दायरा भी बढ़ गया है।
4. इसे देखते हुए, आयुष्मान भारत- हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर योजना के अन्तर्गत समस्त शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा अर्बन हेल्थ वेलनेस सेण्टरों पर जन आरोग्य समिति संचालित किया जाना है।
5. जन आरोग्य समिति-नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर, जिला स्वास्थ्य समिति के अवयव के रूप में कार्य करेगी। इसे पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं होगी।



उद्देश्य-

1. प्रदेश के समस्त एवं एन्ड वेलनेस सेन्टरों पर सरकार द्वारा जारी सामुदायिक चिकित्साकीय पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षाओं के ल्लगतां पानकों तथा उपचार के गणित गानकों (आईपीएचएपी) की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
2. ऐस्य एन्ड वेलनेस सेन्टरों के सामालन में सामुदायिक साहायिता सुनिश्चित करना।
3. ऐस्य एन्ड वेलनेस सेन्टरों पर कामेत कार्यों को महिला आरोग्य समितियों के साथ स्वास्थ्य देखभाल व स्वास्थ्य के सामुदायिक एवं प्राथमिक चिकित्सकों द्वारा साफ्टीय स्वास्थ्य कार्यकारी एवं अन्य कार्यकारी के अन्तर्गत सामुदायिक स्तर पर छोड़ दाली गयी गतिविधियों को सुनिश्चित करने में सहयोग करना।
4. महिला आरोग्य समितियों की Mentorling करना तथा उनको अन्टाईड पंडि के प्रबन्धन तथा स्वास्थ्य सेवाओं के साथ समन्वय में सहयोग प्रदान करना, जिससे जनसामुदाय को उपलब्ध सेवाओं के बारे में जागरूक किया जा सके।
5. हेत्थ एन्ड वेलनेस सेन्टर को प्रदान की जाने वाली असम्बद्ध (Untied) धनराशि का वित्तीय प्रबन्धन करना।
6. हेत्थ एन्ड वेलनेस सेन्टर के कार्यक्षेत्र में होने वाले Community Level Intervention जैसे कि स्क्रीनिंग एवं फालोअप में महिला आरोग्य समितियों की साहभागिता सुनिश्चित करना।
7. हेत्थ एन्ड वेलनेस सेन्टर द्वारा चिकित्सकीय सेवायें प्राप्त कर रहे रोगियों के इलाज का फालोअप, परामर्श, Community Mobilization, सर्वे एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों में NSS, NCC, Red Cross, Scouts and Guide एवं अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करना।
8. हेत्थ एन्ड वेलनेस सेन्टरों पर प्रदान की जा रही सेवाओं में सामाजिक जवाबदेही हेतु गतिविधियों को, महिला आरोग्य समिति के साथ समन्वय कर, सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करना।
9. हेत्थ एन्ड वेलनेस सेन्टर पर स्वास्थ्य सेवायें प्राप्त करने वाले परिवारों की शिकायतों का निस्तारण करना।
10. हेत्थ एन्ड वेलनेस सेन्टर पर तैनात चिकित्सा अधिकारी एवं नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी को हेत्थ एन्ड वेलनेस सेन्टर की असम्बद्ध (Untied) धनराशि के प्रबन्धन एवं व्यय करने हेतु जयाबदेही तय करना।
11. स्थानीय स्तर पर सरकारी योजनाओं, सी0एस0आर0 एवं अन्य दानदाता संस्थाओं से दान आदि प्राप्त कर स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियों की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करना।
12. केन्द्र की शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को स्वास्थ्य योजनाओं को बनाने में सहयोग प्रदान करना।
13. हेत्थ एन्ड वेलनेस सेन्टर की देख रेख एवं रख-रखाव सुनिश्चित करना।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेत्थ एन्ड वेलनेस सेन्टर (यूपीएचसी-एचडब्ल्यूसी) एवं अर्बन हेत्थ वेलनेस सेंटर (अर्बन एचडब्ल्यूसी) पर गठित जन आरोग्य समिति की संरचना-

समस्त नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अर्बन हेत्थ वेलनेस सेंटर पर जन आरोग्य समिति का गठन किया जाना है।

अध्यक्ष : स्थानीय नगरीय निकाय के वार्ड सदस्य,

(जिस वार्ड में यूपीएचसी-एचडब्ल्यूसी/ अर्बन एचडब्ल्यूसी स्थित है)

सह अध्यक्ष : यूपीएचसी-एचडब्ल्यूसी- नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र या लिंकड चिकित्सा इकाई के चिकित्सा अधीक्षक जिससे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेत्थ एन्ड वेलनेस सेन्टर (एचडब्ल्यूसी) जुड़ा हुआ है, जन आरोग्य समिति के सह-अध्यक्ष नामित होंगे।

अर्बन एचडब्ल्यूसी- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या लिंकड चिकित्सा इकाई के प्रभारी चिकित्साधिकारी जिससे अर्बन एचडब्ल्यूसी जुड़ा हुआ है, जन आरोग्य समिति के सह-अध्यक्ष नामित होंगे।

यदि यूपीएचसी-एचडब्ल्यूसी/ अर्बन एचडब्ल्यूसी से जुड़ी कोई स्वास्थ्य इकाई

	नहीं है तो जिला नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन सह अध्यक्ष होंगे।
सदस्य सचिव	: यूपीएचसी-एचडब्ल्यूसी- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के प्रभारी चिकित्साधिकारी। अर्बन एचडब्ल्यूसी- अर्बन हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के चिकित्साधिकारी।
पदेन सदस्य	: 1. अध्यक्ष, स्वास्थ्य उप समिति, स्थानीय निकाय। 2. महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थानीय क्षेत्र सुपरवाइजर 3. स्वच्छता हेतु जिम्मेदार विभाग- पब्लिक हेत्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट (पीएचईडी) / स्वच्छ भारत मिशन का 01 प्रतिनिधि 4. जल हेतु जिम्मेदार विभाग- पब्लिक हेत्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट (पीएचईडी) / स्वच्छ भारत मिशन का 01 प्रतिनिधि। 5. स्थानीय निकाय स्वास्थ्य/ सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग का 01 प्रतिनिधि 6. स्थानीय शिक्षा विभाग के 01 प्रतिनिधि/ सरकारी स्कूल का प्राधानाचार्य/ प्राइवेट स्कूल का प्राधानाचार्य (यदि क्षेत्र में सरकारी स्कूल नहीं हैं तो) 7. नेहरू युवा केन्द्र संगठन का 01 प्रतिनिधि 8. दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन/ शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का 01 प्रतिनिधि 9. एबी-एचडब्ल्यूसी का कोई अन्य चिकित्साधिकारी/आयुष चिकित्सक 10. आयुष्मान भारत हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर (एबी-एचडब्ल्यूसी) की वरिष्ठ स्टाफ नर्स/ एल.एच.वी 11. महिला आरोग्य समितियों के अध्यक्ष- एबी-एचडब्ल्यूसी के क्षेत्र से दो महिला आरोग्य समिति के अध्यक्ष। इनका कार्यकाल 02 वर्ष के चकानुक्रम में होगा जिससे अधिक सामुदायिक प्रतिभागिता हो सके। 12. शहरी आशा- एबी-एचडब्ल्यूसी के क्षेत्र से आशा/ महिला आरोग्य समितियों के सदस्य सचिव (अधिकतम पाँच) 13. एबी-एचडब्ल्यूसी की समस्त ऐ0एन0एम0 / मल्टी परपज वर्कर 14. क्षेत्र की रेजिडेंट वेलफेर एसोसिएशन (पंजीकृत) / रेजिडेंट वेलफेर एसोसिएशन फेडरेशन से 01 प्रतिनिधि
सामान्य सदस्य	: 1. एबी-एचडब्ल्यूसी (यूपीएचसी-एचडब्ल्यूसी तथा अर्बन एचडब्ल्यूसी) के कार्यक्षेत्र के दो कियाशील व सक्रिय महिला स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष। 2. एबी-एचडब्ल्यूसी (यूपीएचसी-एचडब्ल्यूसी तथा अर्बन एचडब्ल्यूसी) के कार्यक्षेत्र के शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत दो स्थानीय आजीविका समूहों के अध्यक्ष। 3. एबी-एचडब्ल्यूसी क्षेत्र के आयुष्मान भारत स्कूल हेत्थ एण्ड वेलनेस एम्बेसेडर में से एक प्रतिनिधि (क्षेत्र के अधिकतम पंजीकरण वाले विद्यालय से चुना जाये)। 4. क्षेत्र के दो स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि। 5. स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर स्वास्थ्य अथवा स्वास्थ्य के निर्धारकों से निकट संबंध वाले विभाग/ कार्यक्रम से 02 प्रतिनिधि।
विशेष आमंत्री	ट्यूबरकुलोसिस (टीबी रोग)/ कैंसर के सफल इलाज से ठीक हुआ व्यक्ति, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग व्यक्ति, युवा प्रतिनिधि तथा पुरुष लाभार्थी जिसने एक/दो बच्चों के पश्चात नसबन्दी अपनायी हो।
नोट-	<ol style="list-style-type: none"> ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय एच.डब्ल्यू.सी. जो नगरीकरण के कारण शहरी क्षेत्र में सम्प्रिलित हो गये हैं, उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जन आरोग्य समिति का गठन, क्रियान्वयन एवं बैंक खाते का संचालन उपरोक्तानुसार किया जायेगा। ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय एच.डब्ल्यू.सी. हेतु असम्बद्ध (अन्टाइड) धनराशि की अनुमन्यता यथावत रहेगी। समस्त सामान्य सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा जिससे जन आरोग्य समिति में अधिक से अधिक सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

3. शहरी स्थानीय निकाय चुनाव होने पर उस वार्ड सदस्य की समिति से सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी और चुनाव के बाद नवनिर्वाचित यूएलबी से प्रतिनिधि का चयन किया जाएगा।
4. जन आरोग्य समिति के पदेन सदस्यों की सदस्यता उनके मूल पद के अनुरूप होगी।
5. जन आरोग्य समिति का गठन और उसकी भूमिका का क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। सदस्यों के चयन की प्रक्रिया में सामुदायिक स्तर पर परामर्श शामिल होना चाहिए साथ ही समिति सदस्यों की सूची, फोन नंबरों के साथ एचडब्ल्यूसी में प्रदर्शित की जानी चाहिए।
6. जन आरोग्य समिति के सदस्यों के चुनाव में इस बात का ध्यान रखा जाये कि समिति में सम्बन्धित क्षेत्र के समस्त समुदायों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व हो। कुल सदस्य संख्या में से 1/3 मुख्यतः वंचित समूहों जैसे कि अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक होने चाहिए।
7. जन आरोग्य समिति में 50 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाये।

जन आरोग्य समिति के कार्य एवं उत्तरदायित्व—

गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में जन आरोग्य समिति की भूमिका

1. हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एवं हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर कार्यरत कार्मिकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहयोग प्रदान करना।
 2. सिटिजन चार्टर (नागरिक अधिकार पत्र) पर सम्बन्धित हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं का अंकन सुनिश्चित करना। जन आरोग्य समिति हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर रोग प्रतिरोधक एवं प्रोत्साहक गतिविधियों जैसे दीर्घकालीन रोगों, दृष्टि व श्रवण शक्ति की स्कीनिंग तथा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं, बच्चों, किशोरों एवं किशोरियों हेतु उपलब्ध सेवाओं को विशिष्ट रूप से दर्शायेगी तथा योग/वेलनेस सत्रों का संचालन करेगी।
 3. हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर साफ-सफाई, स्वच्छ पेय जल, स्वच्छ शौचालय, समुचित बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था गुणवत्तापरक भोजन, बायो मेडिकल वेस्ट/नियमित वेस्ट का उचित निस्तारण एवं समुचित साईंजेज आदि को सुनिश्चित करना।
 4. हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर स्तरीय स्वास्थ्य कार्ययोजना बनाना, कार्ययोजना के अनुसार बजट की समीक्षा एवं अनुमोदन प्रदान करना।
 5. हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर द्वारा विगत माह में प्रदान की गयी सेवाओं जैसे कि ओ०पी०डी०/आई०पी०डी० एवं आउटरीच सेवाओं जैसे कि नगरीय स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों, विभिन्न स्वास्थ्य दिवसों, हेत्थ प्रोमोशन डे आदि की समीक्षा तथा आगामी माह के लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु कार्ययोजना बनाना।
 6. हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर आवश्यक दवाईयों व जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करना (हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की Essential Drug List व Diagnostic List के अनुरूप)
 7. प्रशिक्षण/ओरिएन्टेशन/संवेदीकरण द्वारा बेहतर जवाबदेही और उपयोगकर्ता संतुष्टि के लिए एबी-एचडब्ल्यूसी कर्मचारियों के बीच उचित व्यवहार की संस्कृति को बढ़ावा देना।
 8. यह सुनिश्चित करना कि हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर समस्त सेवायें निःशुल्क प्रदान की जायें।
 9. सक्रिय प्रयासों और नियमित अनुवर्ती कार्यवाही से सुनिश्चित करना कि समुदाय के गरीब और कमज़ोर वर्गों के लोगों को एचडब्ल्यूसी में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने में किसी भी बाधा का व्यक्ति को सेवाओं से वंचित नहीं किया जाए।
 10. सोशल मीडिया और डिजिटल संचार के उपयोग को प्रोत्साहित करना, जटिलताओं और पुनः होने वाले जोखिम को कम करने के लिए अस्पतालों से छुट्टी पाने वाले रोगियों के घर/सामुदायिक स्तर पर अनुवर्ती कार्यवाई को सुनिश्चित करना।
 11. आयुषमान भारत-हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर यूपीएचसी/यूएचडब्ल्यूसीके लिए निर्धारित गुणवत्ता व मानकों की नियमित समीक्षा, कार्यवाही और निगरानी करना जिससे कि वह अपेक्षित स्तर को प्राप्त कर सके।
- स्वास्थ्य प्रोत्साहन गतिविधियों में जन आरोग्य समिति की भूमिका**
1. स्वास्थ्य के सामाजिक और पर्यावरणीय निर्धारकों पर बहु-उद्देशीय कार्यवाही की योजना बनाने और समर्थन करने के लिए एक मंच के रूप में काम करना, विशेष रूप से गैर संचारी रोग, जल स्वच्छता, स्वच्छता, कुपोषण एवं अन्य क्षेत्रीय मुददे आदि।

शहरी क्षेत्रों में जन आरोग्य समिति हेतु दिशा-निर्देश

2. एचडब्ल्यूसी व कार्यक्षेत्र में वार्षिक स्वास्थ्य कैलेंडर में लिखित दिवसों का आयोजन करना और वार्षिक स्वास्थ्य कैलेंडर दिवस मनाने के लिए महिला आरोग्य समिति/वार्ड समिति को सहयोग करना। (वार्षिक स्वास्थ्य कैलेंडर—संलग्न 1)
 3. जन आरोग्य समिति हेतु एण्ड वेलनेस टीम को समुदाय स्तरीय गतिविधियों जैसे कि Population based Screening for NCD, Eat Right Campaign of FASSI and SABLA जो लागू हो, इत्यादि को निष्पादित करने में सहयोग प्रदान करें।
 4. VISHWAS handbook का उपयोग करते हुए Water Sanitation and Hygiene हेतु समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।
 5. महिलाओं के महिला आरोग्य समिति/स्वयं सहायता समूह/वार्ड समिति/सांस्कृतिक दलों के सहयोग से—
 - क्षेत्र में लैंगिक समानता एवं महिलाओं की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को दूर करने में महिलाओं का प्रतिभाग सुनिश्चित करना।
 - क्षेत्र में शराब, तम्बाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम करने तथा स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए खेलों एवं व्यायाम को प्रोत्साहन देना।
 6. सरकार द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं व योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार करना। इस हेतु सामुदायिक रेडियो व सोशल मीडिया का प्रयोग करना।
- शिकायत निवारण तंत्र के उत्प्रेरक के रूप में जन आरोग्य समिति**
1. जन आरोग्य समिति द्वारा रोगियों और उनके तीमारदारों का रोगी संतुष्टि सर्वेक्षण कराया जाये। उक्त सर्वेक्षण (संलग्नक-2) में दिये गये प्रपत्र पर रोगियों द्वारा दिये गये फीडबैक के अनुसार होगा। समिति इन समस्त फीडबैक को रजिस्टर में अंकित करना सुनिश्चित करेंगी तथा निर्धारित समय में शिकायतों का निस्तारण करेंगी। इस हेतु—
 - ✓ आयुष्मान—भारत हेतु एण्ड वेलनेस सेन्टर के प्रांगण में एवं उसके अन्तर्गत आने वाले समस्त क्षेत्रों में शिकायत निवारण का प्रचार प्रसार कराया जाये।
 - ✓ जन आरोग्य समिति द्वारा समय—समय पर शिकायत निवारण तंत्र की व्यवहारिकता और हेतु एण्ड वेलनेस सेन्टर के कार्मिकों की प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाये।
 2. जन आरोग्य समिति की प्रत्येक बैठक में हेतु एण्ड वेलनेस सेन्टर पर गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने सम्बन्धी रोगियों की शिकायतों को सुनना चाहिए। सदस्यों को, प्राप्त फीडबैक पर यथा सम्भव समय से कार्यवाही करनी चाहिए।
 3. जन आरोग्य समिति को सम्बन्धित महिला आरोग्य समितियों के माध्यम से हेतु एण्ड वेलनेस सेन्टर द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के बारे में समुदाय से फीडबैक प्राप्त करना चाहिए। प्राप्त फीडबैक को समिति की बैठकों में साझा किया जाना चाहिए।
 4. जन आरोग्य समिति शिकायत निवारण तंत्र के रूप में उन परिवारों के लिए कार्य करेंगी जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करते हैं। आवश्यकता होने पर उचित मुददों और शिकायतों को जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है।

सामाजिक उत्तरदायित्व में जन आरोग्य समिति की भूमिका

जन आरोग्य समिति आयुष्मान भारत—हेतु एण्ड वेलनेस सेन्टरों (नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुनिश्चित करेंगी की टीम के सदस्यों को समस्त आवश्यक जानकारी/डेटा और लाजिस्टिक सम्बन्धी सहायता चिन्हांकित मुददों का Follow-up भी करेंगी।

जन आरोग्य समिति की बैठकें—

1. जन आरोग्य समिति की बैठक प्रत्येक माह द्वितीय शुक्रवार को आयोजित की जाये। जिला स्वास्थ्य समिति द्वितीय शुक्रवार के रथान पर माह में कोई अन्य दिवस निर्धारित कर सकती है।
2. जन आरोग्य समिति की प्रत्येक बैठक का निर्धारित एजेण्डा होगा।

जन आरोग्य समिति की मासिक बैठकों हेतु सुझावात्मक एजेण्डा बिन्दु—

1. हेतु एण्ड वेलनेस की मासिक प्रगति रिपोर्ट—नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेतु एण्ड वेलनेस सेन्टर एवं नगरीय हेतु एण्ड वेलनेस सेन्टर के चिकित्साधिकारीयों द्वारा मासिक रिपोर्ट को प्रस्तुत की जायेगी। उक्त रिपोर्ट के अन्तर्गत विगत माह में हेतु एण्ड वेलनेस सेन्टर द्वारा

समुदाय को विशेषतया विधित वर्गों को उपलब्ध करायी गयी सेवाओं को संलग्नक-3 प्रारूप के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा। जन आरोग्य समिति के सदस्यों द्वारा हेत्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के सम्बन्ध में चर्चा की जाये तथा समन्वित पोर्टल पर सही सूचनाये समझ अंकित की जाये।

2. कार्योजना एवं व्यय की गयी असम्बद्ध (untied) धनराशि की समीक्षा - जन आरोग्य समिति द्वारा विगत माह में किये गये व्यय (असम्बद्ध धनराशि) की समीक्षा करना एवं अगले माह किये जाने वाले व्यय हेतु योजना एवं कार्योजना तैयार करना। समिति को प्राप्त कुल धनराशि एवं व्यय की गयी धनराशि को राष्ट्रीय शहरी स्वारथ्य मिशन द्वारा प्रदत्त असम्बद्ध धनराशि तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि, दोनों को पृथक्-पृथक् दर्शाया जाये। इस हेतु संलग्नक-4 का उपयोग किया जायेगा। जन आरोग्य समिति हेत्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के समग्र वित्तीय प्रवधन की समीक्षा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि हेत्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर की असम्बद्ध धनराशि का उपयोग वित्तीय नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है। यिकित्सा अधिकारी जन आरोग्य समिति की असम्बद्ध धनराशि/हेत्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर से समन्वित दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराये जाने हेतु उत्तरदायी होंगे।
3. हेत्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के प्रशासकीय मुददे - सेन्टर द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की मासिक प्रगति, मानव संसाधन, मूलभूत सुविधाओं, लाजिस्टिक, प्रवधकीय एवं वित्तीय व्यवस्थाओं आदि की जन आरोग्य समिति की वैठकों में चर्चा की जाये।
4. समिति की वैठकें सदस्य संधिय के माध्यम से आहूत की जायेगी। वैठक सम्बन्धी सूचना में दिनांक, समय, स्थान-जहाँ पर वैठक आयोजित होंगी आदि का उल्लेख होगा तथा यह सूचना जन आरोग्य समिति के सभी सदस्यों को जन आरोग्य समिति की वैठक आयोजित होने की तिथि से कम से कम 7 दिन पूर्व उपलब्ध करायी जायेगी।
5. वैठक में समिति के 50 प्रतिशत सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया जाना आवश्यक है। यदि किसी कारणवश वैठक में 50 प्रतिशत सदस्यों द्वारा प्रतिभाग नहीं किया जा रहा है तो ऐसी वैठक को स्थगित कर, स्थगन की सूचना एवं पुनः वैठक करने की सूचना उसी दिन समन्वित सदस्यों को प्रेपित की जायेगी। यदि पुनः की जाने वाली वैठक में भी 50 प्रतिशत सदस्यों द्वारा प्रतिभाग नहीं किया जाता है तो ऐसी परिरिक्ति में वैठक को समान्य वैठक की तरह ही आयोजित की जायेगी। इस प्रकार की वैठकें लगातार दो माहों तक ही की जा सकती हैं। तीसरे माह में आयोजित होने वाली वैठक में 50 प्रतिशत सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया जाना आवश्यक होगा। पुनः आयोजित होने वाली ऐसी वैठकें जिनमें 50 प्रतिशत सदस्यों द्वारा प्रतिभाग न किया गया हो, में नियमित एवं आकर्षिक गतिविधियों हेतु ही अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। नवीन प्रस्तावों/नवीन गतिविधियों/कार्योत्तर स्थीरकृति पर अनुमोदन उरी वैठक में प्रदान किया जायेगा जिसमें 50 प्रतिशत सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया हो।
6. इस बात का प्रयास किया जाये कि प्रत्येक वैठक में 50 प्रतिशत सदस्यों का कोरम पूरा हो तथा विभिन्न वर्सियों/समुदायों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाये।
7. जन आरोग्य समिति की वैठकों की कार्यवृत्ति रजिस्टर पर अंकित की जाये। कार्यवृत्ति में विगत माह में किये गये कार्य एवं व्यय तथा आगामी माह में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष किये जाने वाले व्यय को क्रमशः अवश्य अंकित करें। कार्यवृत्ति पर सदस्यों के हरताकार अवश्य करायें।
8. जन आरोग्य समिति की वित्तीय वर्ष की आखिरी वैठक में विगत वर्ष की समिति की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें- आय एवं व्यय का लेखा जोखा, की सूचना सम्मिलित होंगी। जिसके आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष की कार्योजना तैयार की जायेगी।
9. जन आरोग्य समिति की वार्षिक रिपोर्ट माह अप्रैल में आयोजित वैठक में प्रस्तुत य अनुमोदित की जायेगी, जिसमें आयुष्णान भारत हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों से समन्वित रोयाओं से समन्वित सामुदायिक दायित्व के निर्धारण के सम्बन्ध में भी चर्चा की जायेगी। सामाजिक जयावदेही के निर्धारण सम्बन्धी गतिविधियों प्रतिवर्ष माह अप्रैल-मई में की जायेंगी। जिसके द्वारा स्वारथ्य एवं स्वारथ्य नियोजन में नगरीय निकाय एवं जन समुदाय का राहयोग प्राप्त किया जायेगा। माह अप्रैल में वैठक का आयोजन प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को आयुष्णान भारत-हेत्थ एण्ड सेन्टर दियर के दिन आयोजित किये जाने का प्रयास किया जाये।
10. समस्त वित्तीय प्रस्ताव वैठक में उपरिक्त कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। वैठक में उन सभी गतिविधियों के सम्बन्ध में लेखा-जोखा एवं व्यय विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा, जिन्हें गत वैठक के बाद किया गया हो।

शहरी क्षेत्रों में जन आरोग्य समिति हेतु दिशा-निर्देश

11. समस्त प्रस्ताव पर अनुमोदन सदस्यों द्वारा हाथ उठाकर प्रदान किया जाये एवं प्रस्ताव के समक्ष अनुमोदन प्रदान करने वाले सदस्यों की संख्या अंकित की जाये।
12. जन आरोग्य समिति के सदस्यों द्वारा हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर द्वारा आयोजित की जाने वाली मासिक गतिविधियों में सहयोग प्रदान किया जायेगा। इन विशेष दिवसों का कैलेन्डर संलग्नक-1 के साथ संलग्न है।
13. जन आरोग्य समिति की बैठक में सम्बन्धित आरोग्य महिला समिति के विषयों/समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा की जायेगी एवं समस्याओं के निस्तारण में सहयोग प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार ₹०प्रा०स्वा०के० व ₹०ह०वे०से० स्तरीय जन आरोग्य समिति की बैठक में सम्बन्धित जन आरोग्य समिति की बैठक के विषयों/समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा कर यथा सम्भव निस्तारित किया जायेगा एवं आवश्यकतानुसार निर्णयार्थ उच्चाधिकारियों को अग्रसारित किया जायेगा।

अभिलेखीकरण

1. जन आरोग्य समिति की बैठकों की कार्यवृत्ति

जन आरोग्य समिति की बैठक की कार्यवृत्ति निर्धारित रजिस्टर में अंकित की जायेगी। कार्यवृत्ति के साथ समस्त उपस्थिति सदस्यों की उपस्थिति अंकित की जायेगी। कार्यवृत्ति में गत बैठक के पश्चात हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर द्वारा की गयी मासिक प्रगति एवं व्यय के सम्बन्ध में चर्चा की जायेगी (संलग्नक-3)। उक्त के पश्चात नवीन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे एवं आगामी माह हेतु कार्ययोजना अंकित की जायेगी।

2. लेखा पंजिका

₹०प्रा०स्वा०के० एंव अ०ह०वे०से० स्तरीय जन आरोग्य समिति द्वारा आय व्यय के सम्बन्ध में सूचना संकलित करने हेतु प्रपत्र पत्र के साथ संलग्नक-4 में उल्लेखित है। समिति द्वारा किये गये समस्त व्यय उक्त सूचना प्रपत्र पर अंकित किये जायेंगे। इसी प्रकार जन आरोग्य समिति को उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्नक 4 में उल्लेखित है।

3. वार्षिक जन संवाद

जन आरोग्य समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जन संवाद आयोजित किया जायेगा। इसके अन्तर्गत हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की स्वारक्ष्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका, सफलतायें एवं चुनौतियों पर चर्चा एवं अनुभव साझा किये जायेंगे। जन संवाद में हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर क्षेत्र के प्रत्येक बस्ती/क्षेत्र प्रत्येक समुदाय विशेषकर विचित वर्ग के सदस्यों एवं महिलाओं को अवश्य आमंत्रित किया जायेगा एवं हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर को और अधिक बेहतर सेवायें देने में उनसे प्राप्त सुझावों को आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय स्वारक्ष्य मिशन एवं स्थानीय निकाय की वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किया जा सकता है।

जन आरोग्य समिति असम्बद्ध (untied) धनराशि का उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जा सकता है—

- जन आरोग्य समितियों को आवंटित की जाने वाली असम्बद्ध(untied) धनराशि का उपयोग हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर अप्रत्याशित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, जन आरोग्य समिति की सलाह से किया जायेगा।
- आयुष्मान भारत के अन्तर्गत प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर को ₹० 250000/- प्रतिवर्ष तथा प्रति अर्बन हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर को ₹० 100000/- प्रतिवर्ष आवंटित किया जायेगा।
- भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु आपरेशनल व्यय (बिजली, टेलिफोन बिल, स्टेशनरी, ओ.पी.डी. स्लिप, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएँ, विभिन्न रजिस्टर, इत्यादि) हेतु व्यय की जानी वाली धनराशि को सम्बन्धित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवंटित Untide Fund में सम्मिलित कर दिया गया है। अतः नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के आपरेशनल व्यय हेतु समस्त व्यय, पूर्व स्वीकृत ₹० 8000/- प्रतिमाह की सीमा के अन्तर्गत जन आरोग्य समिति के अनुमोदन के अनुसार व्यय किये जा सकेंगे।
- 15 वे वित्त आयोग के अन्तर्गत संचालित अर्बन हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के आपरेशनल व्यय हेतु धनराशि पृथक से उपलब्ध है अतः इस प्रकार का कोई व्यय अन्टार्फंड फंड से नहीं किया जायेगा।
- असम्बद्ध धनराशि का उद्देश्य जन आरोग्य समिति के साथ परामर्श से आयुष्मान भारत-हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों पर लिए गए निर्णयों पर आधारित अप्रत्याशित, छोटी-छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराना है।

- रोगियों एवं नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं एवं सेवाये सुनिश्चित करना तथा समुदाय स्तरीय स्वास्थ्य संवर्धन में सहायता करना, असम्बद्ध धनराशि प्राथमिकता वाले व्यय के लिए दो महत्वपूर्ण घटक हैं। इस मूलभूत सिद्धांत का पालन किया जाये कि व्यय स्थानीय आवश्यकता और प्राथमिकताओं पर आधारित हो।
- असम्बद्ध धनराशि का उपयोग केवल जन कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाये, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए न किया जाये। केवल आपातकालीन स्थितियों में रेफरल और परिवहन के मामले में ही व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर व्यय किया जाये। विषम परिस्थितियों में बेसहारा महिलाओं, एकल बुजुर्ग या दिव्यांग व्यक्तियों की तात्कालिक स्वास्थ्य आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कुछ धनराशि (500 रुपए तक) उपयोग की जा सकती है। ऐसे किसी भी व्यय की पुष्टि जन आरोग्य समिति की आगामी बैठक में विधिवत रूप से की जाएगी। जन आरोग्य समिति ऐसी आवश्यकताये पूरी करने में सहायता के लिए स्थानीय समुदाय से संसाधन/अंशदान भी ले सकती है। जन आरोग्य समिति अपनी बैठक की कार्यवाही में ऐसे अंशदान का अभिलेख रखेगी और स्वास्थ्य संवर्धन दिवस या वार्षिक जन संवाद या सामाजिक उत्तरदायित्व आयोजनों में ऐसे अंशदाताओं को सम्मानित करने पर भी विचार किया जा सकता है।
- आयुष्मान भारत-हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों का रख-रखाव/उपकरण/औषधियों एवं निदानों जैसी नित्य और नियमित आवश्यकताओं के लिए असम्बद्ध धनराशि का उपयोग केवल नियमित आपूर्ति में बाधा की स्थिति में ही किया जाये। यह व्यय नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा अधिकारी से परामर्श के उपरान्त ही किया जाये। यद्यपि आकस्मिक स्थिति में खरीदी गई आवश्यक औषधियों या लॉजिस्टिक्स आयुष्मान भारत-हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उपलब्ध होने वाली आवश्यक औषधियों या लॉजिस्टिक्स की सूची का हिस्सा होना आवश्यक है।
- स्वास्थ्य संवर्धन आयुष्मान भारत-हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मुख्य कार्य है तथा असम्बद्ध धनराशि का उपयोग स्वास्थ्य संवर्धन संबंधी गतिविधियों और स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों के बारे में कार्यों के लिए किया जाए। स्वास्थ्य संवर्धन, जीवनशैली में परिवर्तन और निवारक स्वास्थ्य अभ्यासों की टिकाऊ प्रक्रिया शुरू करने और उसमें सहायता करने की गतिविधियों पर व्यय के संबंध में सिद्धांत का पालन किया जाये। उदाहरण के लिए धन की थोड़ी सी आवश्यकता पूरी करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों में धनराशि का उपयोग किया जा सकता है : -
- मानव संसाधन लागत के अलावा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर परिसरों की साफ-सफाई के लिए कंज्यूमेबल्स संबंधी व्यय।
- महामारी के दौरान नमूना जाँच लाने एवं ले जाने हेतु परिवहन इत्यादि की व्यवस्था करना।
- शौचालयों के लिए साफ-सफाई की व्यवस्था के लिए व्यय।
- सेप्टिक टैंक/शौचालयों की छोटी-छोटी मरम्मत संबंधी व्यय।
- रोगियों के लिए पीने के स्वच्छ पेयजल प्रावधान संबंधी व्यय।
- हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में साइन बोर्ड में सुधार संबंधी व्यय।
- कूड़े-कचरे इत्यादि के समुचित निपटारे की व्यवस्था करने संबंधी व्यय।
- स्वास्थ्य संवर्धन दिवस और वेलनेस गतिविधियां आयोजित करने संबंधी व्यय (उपकरण की खरीद को छोड़कर)।
- जनपद को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि असम्बद्ध धनराशि से स्वीकृति योग्य व्यय की विभिन्न श्रेणियों के बीच उचित संतुलन बनाए रखा जाए। उदाहरण के लिए इसे व्यय की निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों के बीच उचित संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाए : -
 (अ) हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के परिसरों की साज-सज्जा करना
 (ब) रोगी सुविधाएं
 (स) आयुष्मान भारत-हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बुनियादी ढांचे का रख-रखाव।
 जनपद इन श्रेणियों में से प्रत्येक लिए 20 प्रतिशत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में निर्णय कर सकते हैं लेकिन स्थानीय संदर्भ के अनुसार उन्हें इसमें परिवर्तन की सुविधा उपलब्ध होगी। जन आरोग्य समिति की बैठक आयोजित करने के लिए अधिकतम रु0 400 प्रति बैठक तक व्यय किया जा सकता है।



जन आरोग्य समिति असम्बद्ध धनराशि का उपयोग निम्नलिखित मदों में नहीं किया जा सकता है-

1. ऐसी गतिविधियां जिनके लिए अन्य मद में धनराशि उपलब्ध है, हेतु असम्बद्ध धनराशि व्यय नहीं की जा सकती है।
2. मानव संसाधन हेतु।
3. ऐसे नैदानिक परीक्षण (जॉच) जोकि आयुष्मान भारत-हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की सूची में शामिल नहीं हैं, में प्रयुक्त होने वाली औषधियों, रिजेन्ट्स एवं उपकरणों की खरीद नहीं की जा सकती है।
4. ऐसी कोई भी गतिविधि अथवा सामान पर व्यय नहीं किया जा सकता है जिस हेतु अन्य कार्यक्रमों में राज्य सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध करायी गयी हो।
5. व्यायामशाला का निर्माण अथवा व्यायाम से सम्बन्धित उपकरणों की खरीद नहीं की जा सकती है।

जन आरोग्य समिति का वित्तीय एवं बैंक प्रबन्धन-

1. नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर तथा अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में जन आरोग्य समिति हेतु बैंक खाता राज्य स्तर से खोला जायेगा।
2. नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर तथा अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में जन आरोग्य समिति के बैंक खाता खोलने हेतु सूचनाये निम्न प्रारूप पर राज्य स्तर पर प्रेषित की जाये।

-: प्रारूप :-

क्र.सं.	नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का नाम	ब्लाक/शहर का नाम	जनपद का नाम	स्टेट बैंक आफ इण्डिया की निकटतम शाखा का नाम	स्टेट बैंक आफ इण्डिया की निकटतम शाखा का आई.एफ.एस.सी. कोड	अन्य

3. नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर तथा अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की जन आरोग्य समिति का वित्तीय प्रबन्धन एवं बैंक खाता का संचालन जन आरोग्य समिति समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।
4. जन आरोग्य समिति की बैठक में लिए गये निर्णयों एवं अनुमोदन एवं विशेष व आपातकलीन स्थिति में कार्योत्तर स्वीकृति के अनुसार ही जन आरोग्य समिति के खातों से धनराशि आहरित की जा सकती है।
5. समस्त भुगतान राज्य सरकार के वित्तीय दिशा-निर्देशों के अनुसार PFMS से ही किये जाये।
6. आकस्मिक व्यय/भुगतान हेतु समिति के सदस्य सचिव ₹0 5000/- तक की धनराशि Imprest/Petty cash के रूप में रख सकता है। Imprest/Petty cash के द्वारा किये गये प्रत्येक भुगतान के सम्बन्ध में जन आरोग्य समिति की अगली बैठक में अवगत कराया जाये एवं अनुमोदन प्राप्त किया जाये। Imprest/Petty cash रजिस्टर में प्रत्येक सप्ताह धनराशि को अद्युनांत किया जाये। ₹0 500 से अधिक का कोई भी भुगतान Petty cash के माध्यम से न किया जाये।
7. जन आरोग्य समिति प्रत्येक तीसरे महीने होने वाली बैठक में आय व्यय का लेखा-जोखा समिति की कार्य प्रगति आख्या प्रदर्शित किया जाये।
8. जन आरोग्य समिति की प्रत्येक तीसरे महीने में होने वाली बैठक में समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव से हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र को Form GFR 19-A (संलग्नक-4) को जमा किया जाये।
9. राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जन आरोग्य समिति का वार्षिक आडिट कराया जाये।

जन आरोग्य समिति के प्रमुख सदस्यों के कार्य एवं उत्तर दायित्व-

जन आरोग्य समिति के अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां-

1. अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह बैठके बुला सकेगा तथा सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा।
2. अध्यक्ष जन आरोग्य समिति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर सकेगा।
3. अध्यक्ष समिति के कार्यों एवं प्रगति को आवधिक रूप से समीक्षा करने एवं समिति के प्रकरणों में जॉच के आदेश दिये जाने हेतु प्राधिकृत है और जॉच समिति की संस्तुतियों को देखकर आदेश पारित कर सकता है।
4. समिति की बैठक में उठाये गये सभी विवादास्पद प्रश्नों का निराकरण वोट (मत) के आधार पर किया जायेगा। समिति के प्रत्येक सदस्य का एक वोट (मत) होगा परन्तु यदि मत बराबर-बराबर होंगे तो अध्यक्ष का मत निर्णयक होगा।

5. आकस्मिकता की स्थिति में अध्यक्ष समिति की ओर से सदस्य सचिव की संरक्षिति के उपरान्त निर्णय ले सकता है। इस प्रकार लिये गये निर्णयों को समिति की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

बैठक के पश्चात इसकी कार्यवृत्त की प्रति समिति के सदस्यों को, बैठक आयोजित हो जाने के बाद यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

जन आरोग्य समिति के सदस्य सचिव के कार्य एवं शक्तियाँ

जन आरोग्य समिति के सदस्य सचिव समिति की सभी बैठकों को फैसिलिटेट करेगे, बैठकों की कार्यवाही व प्रस्तावों का अभिलेखीकरण करेंगे तथा उन पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

1. जन आरोग्य समिति का सदस्य सचिव द्वारा समिति की समस्त कार्यकारी एवं वित्तीय अधिकारों का निर्वहन किया जायेगा। इसके अन्तर्गत प्रतिदिन होने वाले प्रशासनिक कार्यों, समिति की ओर से पत्राचार, समस्त अभिलेखों एवं चल सम्पत्तियों को अपने संरक्षण में रखा जायेगा।
2. वह जन आरोग्य समिति की ओर से समस्त बिल-वाउचर, पावती, अनुबन्ध एवं अन्य प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने का अधिकारी होगा।
3. औचित्यपूर्ण होने पर विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपसमिति का गठन कर सकता है एवं उसे आवश्यक अधिकार दे सकता है। समिति बनाने के निर्णय एवं प्रक्रिया को वह जन आरोग्य समिति की होने वाली बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा।
4. आकस्मिकता की स्थिति में जन आरोग्य समिति के अध्यक्ष के परामर्श के अनुसार कार्यवाही/निर्णय ले सकता है। इस प्रकार लिये गये निर्णयों को समिति की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
5. जन आरोग्य समिति की बैठक में आवश्यक सदस्य संख्या (कोरम) के अनुसार समिति द्वारा प्रदान किये गये समस्त अधिकारों एवं दायित्वों का निर्वहन करना।

जन आरोग्य समिति हेतु प्रबन्धन एवं निष्पादन संकेतक (Management and Performance Indicators)

हेत्थ एण्ड वेलनेस सेंटर पर कार्यरत कर्मियों द्वारा समिति से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को अद्युनांत रखना होगा। इसके अन्तर्गत सदस्यों का विवरण, बैठक की तिथियाँ, बैठक का कार्यवृत्त, धनराशि की पावती, दानदाताओं की सूची, सुझाव एवं शिकायत, सामाजिक जवाबदेही व जन संवाद आदि सम्बन्धी रिपोर्ट एवं तदानुसार की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट आदि सेंटर स्तर पर सुरक्षित रखना होगा।

निष्पादन संकेतक (Performance Indicators) निम्नवत् हैं—

- A. जन आरोग्य समिति की वर्ष में निर्धारित 12 बैठक के सापेक्ष आयोजित बैठकों की संख्या।
- B. बैठकों की संख्या जिसमें गत माह किये गये अन्टाईड फंड की समीक्षा की गयी हो।
- C. बैठकों की संख्या जिसमें अगले माह हेतु असम्बद्ध धनराशि व्यय करने के लिए कार्ययोजना बनायी गयी।
- D. वर्ष में जन आरोग्य समिति द्वारा आयोजित की गई सामुदायिक बैठकों की संख्या।
- E. आडिट आपत्तियों तथा जन आरोग्य समिति द्वारा निष्पादन की संख्या।
- F. जन आरोग्य समिति द्वारा वर्ष में प्राप्त कुल असम्बद्ध धनराशि।
- G. जन आरोग्य समिति द्वारा उपयोग की गयी धनराशि का प्रतिशत।
- H. विभिन्न मर्दों जैसे कि एच०डब्ल्यूसी० परिसर का प्रबन्धन, रोगियों को प्रदान की जाने वाली सुविधायें, औषधियों, जाँचों एवं रेफरल जन संवाद आयोजन आदि पर व्यय की गयी असम्बद्ध धनराशि का अनुपात।
- I. वर्ष में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण का प्रतिशत।

उपरोक्त सूचकांकों के अतिरिक्त, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय जन आरोग्य समिति, निम्नलिखित सूचकांकों के आधार पर अर्बन हेत्थ एण्ड वेलनेस सेंटर स्तरीय जन आरोग्य समिति के कार्य निष्पादन का अनुश्रवण करेगी :—

- J. अर्बन हेत्थ एण्ड वेलनेस सेंटर स्तरीय जन आरोग्य समिति जहां वर्ष में 10 से अधिक बैठक हुई हैं।
- K. अर्बन हेत्थ एण्ड वेलनेस सेंटर स्तरीय जन आरोग्य समिति का प्रतिशत जहां वर्ष में एक वार्षिक सार्वजनिक बैठक हुई।
- L. अर्बन हेत्थ एण्ड वेलनेस सेंटर स्तरीय जन आरोग्य समिति का प्रतिशत जिसने वर्ष में अन्टाईड फंड की 90 प्रतिशत से अधिक राशि का उपयोग किया।

शहरी क्षेत्रों में जन आरोग्य समिति हेतु दिशा-निर्देश

- M. अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर स्तरीय जन आरोग्य समिति का प्रतिशत जिसने समय पर उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) जमा किया।
- N. सभी जन आरोग्य समिति – अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर की मासिक बैठकों का प्रतिशत जिसमें नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी/उसके प्रतिनिधि ने प्रतिभाग किया।
- O. अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर स्तरीय जन आरोग्य समिति जिनके द्वारा 60 प्रतिशत से अधिक लेखा आपत्तियों का निस्तारण किया गया।

जन आरोग्य समिति के पदाधिकारियों तथा सदस्यों की क्षमतावर्धन –

जन आरोग्य समिति को प्रभावशाली तरीके से संचालित करने हेतु समिति के पदाधिकारियों तथा सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी क्षमतावर्धन की जाये। जन आरोग्य समिति के पदाधिकारियों तथा सदस्यों का अभिमुखीकरण/प्रशिक्षण राष्ट्रीय, राज्य और जनपद व क्षेत्रीय स्तर के क्रम में किया जायेगा। प्रशिक्षण सामग्री राज्य स्तर से जनपद को उपलब्ध करायी जायेगी। जन आरोग्य समिति के पदाधिकारियों तथा सदस्यों का अभिमुखीकरण/प्रशिक्षण/मेंटरिंग ऑन-लाइन, ऑफ-लाइन तथा समय-समय पर प्रेषित किये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप कराया जायेगा।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा है कि दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक -।
वार्षिक स्वास्थ्य कैलेंडर

क्रम सं०	दिनांक	दिवस
1	12 जनवरी	राष्ट्रीय युवा दिवस
2	30 जनवरी	कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस (एंटी लेप्रसी डे)
3	04 फरवरी	विश्व कैंसर दिवस
4	10 फरवरी	राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (नैशनल डीवॉर्मिंग डे)
5	11 फरवरी	विश्व मिर्गी रोग दिवस (इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे)
6	08 मार्च	अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस (इंटरनेशनल वोमेन्स डे)
7	10 मार्च	राष्ट्रीय गर्भवती मधुमेह (GDM) जागरूकता दिवस
8	24 मार्च	विश्व क्षयरोग दिवस (टूबक्यूलोसस)
9	07 अप्रैल	विश्व स्वास्थ्य दिवस
10	11 अप्रैल	राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस
11	14 अप्रैल	आयुष्मान भारत - हैल्थ एण्ड वेलनेस दिवस
12	अप्रैल का आखिरी सप्ताह अर्थात् 24 अप्रैल के बाद	विश्व टीकाकरण सप्ताह
13	05 मई	अन्तराष्ट्रीय मिड्वाइफ दिवस
14	12 मई	अन्तराष्ट्रीय नर्स दिवस
15	28 मई	मसिक धर्म स्वाच्छता दिवस
16	28 मई-08 जून	सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा
17	31 मई	विश्व तंम्बाकू निषेध दिवस
18	14 जून	विश्व रक्तदान दिवस
19	21 जून	अन्तराष्ट्रीय योग दिवस
20	26 जून	अन्तराष्ट्रीय नशा निषेध दिवस
21	01 जुलाई	राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस (डॉक्टर डे)
22	11 जुलाई	विश्व जनसंख्या दिवस
23	28 जुलाई	विश्व हेपेटाइटिस दिवस
24	01-08 अगस्त	विश्व स्तनपान सप्ताह
25	10 अगस्त	राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (नैशनल डीवॉर्मिंग डे)
26	15 अगस्त	स्वतंत्रता दिवस
27	01-07 सितम्बर	राष्ट्रीय पोषण सप्ताह
28	23 सितंबर	आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दिवस
29	27 सितंबर	आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन दिवस
30	29 सितम्बर	विश्व हृदय दिवस
31	01 अक्टूबर	विश्व वृद्ध दिवस
32	10 अक्टूबर	विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस
33	25 अक्टूबर	प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इंफास्ट्रक्चर मिशन दिवस
34	07 नवम्बर	राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस
35	12 नवम्बर	विश्व निमोनिया दिवस
36	14 नवम्बर	बाल दिवस / विश्व मधुमेह दिवस
37	15-21 नवम्बर	नवजात शिशु सप्ताह
38	17 नवम्बर	विश्व प्रिमेच्योरिटी दिवस
39	25 नवम्बर	अन्तराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस
40	01 दिसम्बर	विश्व एड्स दिवस
41	10 दिसम्बर	अन्तराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस
42	12 दिसम्बर	यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज डे

संलग्नक -II
बाह्य रोगी फीडबैक प्रपत्र

प्रिय मित्र,

आपने अपने मूल्यवान समय को अपने रिश्तेदार/मित्र के उपचार के सम्बंध में अस्पताल में बिताया है। यदि आप नीचे दी गई तालिका में इस अस्पताल की सेवा विशेषताओं पर अपनी राय साझा करते हैं, तो सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के हमारे प्रयास में यह मदद करेगा।

कृपया उपयुक्त बॉक्स पर टिक करें और सुझाव पेटिका में प्रश्नावली छोड़ दें।

क्रम सं	विवरण	ख़राब	ठीक	अच्छा	बहुत अच्छा	अति उत्कृष्ट	कोई टिप्पणी नहीं
1	HWC पर पर्याप्त जानकारी की उपलब्धता (पंजीकरण, उपचार, निदान, दवा और संदर्भन)						
2	पंजीकरण काउंटर पर प्रतीक्षा समय	30 मिनट से अधिक	10-30 मिनट	5-10 मिनट	5 मिनट के भीतर	तुरन्त	
3	HWC कर्मचारियों का व्यवहार						
4	प्रतीक्षा क्षेत्र में सुविधाओं की स्थिति (कुर्सी, पंखे, पीने का पानी आदि)						
5	परिसर, शौचालय और आसपास की सफाई						
6	क्या एम.ओ./चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं?						
7	जाँच और काउंसलिंग में लगा समय						
8	प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल टीम की तत्परता व संवाद						
9	एच.डब्ल्यू.सी. में निर्धारित दवाओं की उपलब्धता						
10	एच.डब्ल्यू.सी. में निदान सेवाओं की उपलब्धता						
11	क्या सभी दवाएँ और डायग्नोस्टिक निःशुल्क प्राप्त हुईं						
12	एच.डब्ल्यू.सी. में टेली परामर्श सेवाओं की उपलब्धता						
13	क्या आशा/ए.एन.एम. द्वारा आप के घर पर भ्रमण किया गया?						
	स्वास्थ्य इकाई में दी गई सेवाओं पर आपकी संतुष्टि का स्तर						

आपके बहुमूल्य सुझाव (यदि कोई हो):

दिनांक: _____

ओ.पी.डी. टिकट नो _____ /स्वास्थ्य आई.डी.:

वार्ड:

नाम:

अन्तः रोगी फीडबैक प्रपत्र

प्रिय मित्र,

आपने अपने मूल्यवान समय को अपने/रिश्तेदार/मित्र के उपचार के सम्बंध में अस्पताल में बिताया है। यदि आप नीचे दी गई तालिका में इस अस्पताल की सेवा विशेषताओं पर अपनी राय साझा करते हैं, तो सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के हमारे प्रयास में यह मदद करेगा।

कृपया उपयुक्त बॉक्स पर टिक करें और सुझाव पेटिका में डालें।

क्रम सं	विवरण	ख़राब	ठीक	अच्छा	बहुत अच्छा	अति उत्कृष्ट	कोई टिप्पणी नहीं
1	पंजीकरण पटल पर आवश्यक जानकारी की उपलब्धता						
2	पंजीकरण काउंटर पर प्रतिक्षा समय	30 मिनट से अधिक	10-30 मिनट	5-10 मिनट	5 मिनट के भीतर	तुरन्त	
3	पंजीकरण/प्रवेश काउंटर पर कर्मचारियों का व्यवहार						
4	डिस्चार्ज प्रक्रिया पर आपका फीडबैक						
5	वार्ड में साफ-सफाई की स्थिति						
6	स्नानागार और शौचालयों में साफ-सफाई की स्थिति						
7	बेडशीट/तकिए के कवर आदि की सफाई की स्थिति						
8	इकाई एवं उसके आसपास तथा परिसर में नालियों की सफाई की स्थिति						
9	चिकित्सक द्वारा रोगी पर नियमित ध्यान देना						
10	चिकित्सक का व्यवहार व संवाद का तरीका						
11	रोगी की जाँच व परामर्श के लिए दिया गया समय						
12	वार्ड में नर्सों की तत्परता						
13	चिकित्सा इकाई पर नर्स की 24 घंटे उपलब्धता						
14	नर्सों का व्यवहार व संवाद का तरीका।						
15	वार्ड बाय/आया की उपलब्धता, व्यवहार व तत्परता						
16	क्या डॉक्टर द्वारा लिखी गई समस्त दवायें आपको निःशुल्क प्राप्त हुईं						
17	डॉक्टर के ज्ञान के संबंध में आपका मत						
18	क्या समस्त जाँचें अस्पताल में प्रदान की गईं						
19	क्या समय पर खाना दिया गया						
20	आप उपचार के दौरान अपनी संतुष्टि को किस प्रकार ऑकलन करेंगे						

M P B S

आपके बहुमूल्य सुझाव (यदि कोई हो):

दिनांक: _____

ओ.पी.डी. टिकट नं० _____/स्वास्थ्य आई.डी.:

वार्ड:

नाम:

SC
R P
R P

संलग्नक -3

ए बी -एचडब्ल्यूसी की मासिक प्रगति रिपोर्ट

भाग-1

1. एचडब्ल्यूसी में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति-

नोट-एचडब्ल्यूसी से संबंधित सभी संख्या व प्रतिशत की गणना गत 01 माह के लिए की जाती है। प्रत्येक सेवा व आयुकर्ण के अन्तर्गत व्यक्तियों की संख्या का उपयोग लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्ध तथा वर्धित वर्गों की सेवाओं तक पहुंच का अंकलन करने हेतु किया जा सकता है।

1. HWC पर सेवा प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	बच्चे	व्यस्क	ट्रासज़र्डर	सभी रानियों की कुल संख्या
	पुरुष	महिला		
	कुल बच्चे	कुल व्यस्क		
2. माह में पैदा हुये बच्चों की संख्या				
3. माह में एचडब्ल्यूसी क्षेत्र के अन्तर्गत मृत्यु पंजीकरण की संख्या	1. नवजात मृत्यु (0-28 दिन) 2. शिश मृत्यु (0-01वर्ष) 3. बच्चों की मृत्यु (5 साल से कम) 4. किशोरों की मृत्यु (10-19 वर्ष) 5. मातृ मृत्यु (गर्भावस्था व बच्चे के जन्म के पश्चात 42 दिनों तक) 6. वृद्ध व्यक्तियों की मृत्यु (>60 वर्ष)			
	माह में कुल मृत्यु की संख्या:			
4. नियोजित सत्रों के सापेक्ष आयोजित नगरीय स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों की संख्या	नियोजित	आयोजित		प्रतिशत
5. पी.एम.-जे.ए.वाई सम्बद्ध लोगों की संख्या	पात्र	पंजीकृत	संदर्भित	पीएमजे.एवाई के अन्तर्गत इलाज प्राप्त लाभार्थियों की संख्या

A प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल

1. पिछले महीने आरसीएच के लिए ओपीडी के कुल मामलों की संख्या (गर्भवती महिलाओं, बच्चे, किशोर)	कुल	फॉलोअप	उच्च इकाईयों को संदर्भित
सर्विस डिलीवरी इंडिकेटर (स्रोत- एचडब्ल्यूसी का सेवा वितरण रिकॉर्ड)	लक्ष्य	लाभार्थियों प्रतिशत जिनके द्वारा सेवा प्राप्त की गई है	लाभार्थियों की संख्या जिनको सेवा प्राप्त नहीं हुई
2. गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनका ससमय पंजीकरण एवं चार बार सूची अनुसार प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान की गई			
3. चिन्हित उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं की संख्या			

4. एचडब्ल्यू पर प्रसव की संख्या			
5. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत डीबीटी प्राप्त करने वाली माताओं की संख्या (जे.एस.वाई)			
6. बच्चे (24 महीने तक जिन्हे पूर्ण टीकाकरण प्राप्त हुआ।			
7. नवजात जिन्हें एचबीएनसी सूची के अनुसार आशा द्वारा विगत माह भ्रमण किया गया			
8. बच्चे जिन्हें एच.बी.वाई.सी. सूची के अनुसार आशा द्वारा विगत माह भ्रमण किया गया			
9. बच्चे (0-18 वर्ष) जिनकी आर.बी.एस.के कार्यक्रम के अन्तर्गत 4Ds (जन्मजात दोष, कमी बचपन में रोग और विकास में देरी) हेतु यूनीवर्सल स्क्रीनिंग की गयी।			
10. एनीमिया ग्रसित महिलाओं की संख्या			
11. सैम चिन्हित बच्चों की संख्या, संदर्भन, एवं फॉलोअप			
12. डायरिया ग्रसित बच्चों की संख्या जिनको एएनएम / आशा द्वारा ओआरएस एवं जिंक प्रदान किया गया			

B-संचारीरोग

1. संचारी रोगों (टीबी, कुष्ठरोग, बेक्टर जनित रोग) के लिए ओपीडी की कुल संख्या	कुल	फॉलोअप	उच्च इकाईयों को संदर्भित
2. चिन्हित एवं उपचारित क्षय रोगियों की संख्या	रोगियों की संख्या	उपचारित/इलाज पूरा हुए रोगियों की संख्या	उपचार प्राप्त कर रहे रोगियों की संख्या

A  B 

3. निःक्षय पोषण अभियान के तहत पोषण सहायता प्राप्त अधिसूचित टीबी मामलों की संख्या	रोगियों की संख्या	पोषण प्राप्त रोगियों की संख्या	पोषण अप्राप्त रोगियों की संख्या (रोगियों की संख्या सूची सहित जिनको लाभ प्राप्त नहीं हुआ सूची संलग्न की जाये)			
4. चिह्नित एवं उपचारित कुछ रोगियों की संख्या	रोगियों की संख्या	उपचारित/इलाज पूरा हुए रोगियों की संख्या			उपचार प्राप्त कर रहे रोगियों की संख्या	उपचार छोड़कर गये रोगियों की संख्या
5. वेक्टर बोर्न बीमारियों के मरीज D- Diagnosed C- Number Cured R- Number referred	मलेरिया	डेंगू	कालाजार	चिकनगुनिया	जापानी इनसेफेलिटिस	
	D C R	D C R	D C R	D C R	D C R	
6. मच्छरों को स्रोत को कम करने हेतु सामुदायिक गतिविधियां	गतिविधि का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि			
C-गैर-संचारी रोग						
विगत माह ओपीडी में गैर-संचारी रोग हेतु आये मरीजों की संख्या	कुल	फॉलोअप	उच्च चिकित्सा इकाईयों हेतु संदर्भन			
1. गैर-संचारी रोगों हेतु जॉचें गये व्यक्ति	लक्ष्य	स्क्रीनिंग	निदान	उपचार पर	झाप आउट	
क. उक्त रक्तचाप						
ख. मधुमेह						
ग. मुह का कैंसर						
घ. स्तन कैंसर						
ड. गर्भशय का कैंसर						
D-विस्तारित सेवाएं						
1. उपसामक (पैलीएटिव) सेवाएं	लक्ष्य	पहचान	रोगियों की संख्या गृह आधारित देखभाल हेतु	उच्च चिकित्सा इकाईयों हेतु संदर्भन		
2. PM-JAY हेतु चिह्नित रोगियों का घर पर फॉलो-अप	संदर्भित रोगियों की संख्या			फॉलो-अप की संख्या		
3. मानसिक रोग ग्रसित	चिह्नित	उपचार	फॉलो-अप			

रोगियों की संख्या		फॉलोअप / पुनः भ्रमाण	उच्च चिकित्सा इकाईयों को संदर्भित मरीजों की संख्या
	पिछले माह में कुल ओपीडी की संख्या		
4. मुख दन्त स्वास्थ्य के मरीजों की संख्या /स्थिति			
5. नेत्र रोगों के मरीजों की संख्या /स्थिति			
6. नाक कान एवं गला रोगों के मरीजों की संख्या /स्थिति			
7. वृद्ध मरीजों की संख्या			
8. मरीजों की संख्या जिन्हे आकस्मिक रिथित में उपचार की आवश्यकता थी।			
E-हेल्थ प्रमोशन एवं वेलनेस गतिविधियां			
योग सत्रों की संख्या	सत्रों की संख्या/गतिविधियां		विवरण /टिप्पणी
वार्षिक स्वास्थ्य कैलेंडर के अन्तर्गत गतिविधियां			
अन्य वेलनेस गतिविधियां			
अन्य — कुल टेली कान्सल्टेशन के द्वारा प्रदत्त परामर्शों की संख्या			
F-सामुदायिक समूहों से सम्बंधित गतिविधियां			
1. रोगी सहायता समूह टीबी	नियोजित	आयोजित	टिप्पणी
वृद्ध			
मानसिक स्वास्थ्य			
पैलीएटिव केयर			
2. वर्ष में अब तक आयोजित जन आरोग्य समिति की बैठकों की संख्या			
3. जन सुनवाइयों की संख्या			
4. जन आरोग्य समिति के अन्तर्गत असंबद्ध धनराशि का उपयोग (मदवार प्राप्तियों तथा व्यय)	मद	प्राप्ति	व्यय
			शेष



G-सामुदायिक गतिविधियां			
1. महिला आरोग्य समिति (MAS) की बैठकों की संख्या	नियोजित	आयोजित	टिप्पणी
MAS 1:			
MAS 2:			
MAS 3:			
MAS 4:			
MAS 5:			
MAS 6:			
4. महिला आरोग्य समिति (MAS) मे असंबद्ध धनराशि का उपयोग (मदवार प्राप्ति एवं व्यय)	मद	प्राप्ति	व्यय
			शेष

 

Section 2A				
मानव संसाधन	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त पदों की संख्या	टिप्पणी
1. चिकित्सा आधिकारी				
2. स्टाफ नर्स				
3. ए.एन.एम.				
3. सहायक स्टाफ				
4. आशा				
5. कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि की स्थिति	टीम के सभी सदस्यों को भुगतान प्राप्त हुआ (हाँ / नहीं)			
आवश्यक दवाईयाँ	टिप्पणी			
1. आवश्यक दवा सूची के अनुसार सभी ड्रग्स उपलब्ध हैं	(हाँ / नहीं)			
2. महीने में स्टॉक आउट दिनों की संख्या				
आवश्यक डायग्रोस्टिक सेवाएं	टिप्पणी			
1. सूची के आनुसार सभी टेरेट की उपलब्धता	(हाँ / नहीं)			
2. महीने में दिनों की संख्या जिसमें आवश्यक जाँचे उपलब्ध नहीं थी				
एम्बुलेंस सेवाएं	टिप्पणी			
1. आवश्यकतानुसार रोगी के संदर्भन के लिए परिवहन उपलब्धता	(हाँ / नहीं)			
प्रशासनिक समस्याएं				
1. HWC में कोई भी संचालन सम्बंधी समस्या				
2. HWC में कोई भी आधारभूत संरचना सम्बंधी समस्या				
3. HWC में कोई भी मानव संसाधन सम्बंधित समस्या				
4. HWC पर कोई वित्तीय मुददे				
5. माह में किया गया अभिनव प्रयास और उससे प्राप्त सीख				




Section 2B

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर प्रशासनिक एवं कार्मिक

मानव संसाधन	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त पदों की संख्या	टिप्पणी
1. चिकित्सा अधिकारी				
2. स्टाफ नर्स				
3. लैब तकनीशियन				
4. फार्मासिस्ट				
5. ए0एन0एम0				
6. सर्पोट स्टाफ				
7. आशा				
आवश्यक दवाईयाँ		टिप्पणी		
1. आवश्यक दवा सूची के अनुसार सभी ड्रग्स उपलब्ध हैं	(हाँ / नहीं)			
आवश्यक निदान सेवाएं		टिप्पणी		
1. सूची के आनुसार सभी निदान सेवाओं की उपलब्धता	(हाँ / नहीं)			
एम्बुलेंस सेवाएं		टिप्पणी		
1. आवश्यकतानुसार रोगी के संदर्भन के लिए परिवहन उपलब्धता	(हाँ / नहीं)			
प्रशासनिक समस्याएं				
1. HWC में कोई भी संचालन सम्बंधी समस्या				
2. HWC में कोई भी आधारभूत संरचना सम्बंधी समस्या				
3. HWC में कोई भी मानव संसाधन सम्बंधित समस्या				
4. HWC पर कोई वित्तीय मुददे				
5. माह में किया गया अभिनव प्रयास और उससे प्राप्त सीख				

Mohd // S.C.

संलग्नक -4
रिकार्ड को व्यवस्थित रखने हेतु प्रपत्र

A- रोकड़ बही प्रपत्र

प्राप्ति रसीद (Receipts)						भुगतान (Receipts)					
दिनांक	विवरण	बही खाता मद	बही खाता क्रमांक	नकद (₹0)	बैंक (₹0)	दिनांक	विवरण	बही खाता मद	बही खाता क्रमांक	नकद (₹0)	बैंक (₹0)

B- स्टेन्डर्ड लेजर प्रपत्र

प्राप्तियाँ

1. राज्य / केन्द्र द्वारा अनुदान
2. अन्य संस्थाओं द्वारा प्राप्तियाँ
3. बैंक खाते का व्याज
4. अन्य प्राप्तियाँ

भुगतान

1. चिकित्सा एवं जाँच हेतु उपभोग सामग्री
2. उपकरण
3. औषधियाँ
4. फर्नीचर
5. लिनेन
6. रखरखाव सम्बंधी अनुबंध एवं मरम्मत
7. आउटसोर्सिंग
8. किराये का वाहन, उसका ईधन एवं रखरखाव
9. मुद्रण
10. प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार
11. स्वास्थ्य प्रोत्साहन गतिविधियाँ
12. कन्टीनजेन्सी
13. अन्य

C- पेटी कैश बुक का प्रपत्र

जन आरोग्य समिति का नाम:	दिनांक	विवरण	बही खाता मद	बही खाता मद	बही खाता मद	बही खाता मद

D-बैलेन्स शीट प्रपत्र

देनदारी (Liabilities)			संपत्ति (Assets)		
विवरण	धनराशि रु0	धनराशि रु0	विवरण	धनराशि रु0	धनराशि रु0
ओपनिंग बैलेन्स			अचल सम्पति		
जोड़-			संस्थाओं को प्रदान की गई ¹ अग्रिम धनराशि		
व्यय से अधिक आय			बकाया प्राप्तियाँ		
			बैंक से अर्जित और देय ब्याज		
अन्य देनदारियाँ			चल सम्पति		
बकाया व्यय			ऋण / अग्रिम धनराशि		
अन्य अचल सम्पति रिजर्व अकाउन्ट			उपलब्ध नकद धनराशि		
			खाते में उपलब्ध धनराशि		

जन आरोग्य समिति बैलेन्स-शीट उसी प्रकार बनेगी, जिस प्रकार एन०एच०एम० के वित्तीय विवरण बनाये जाते हैं।

जन आरोग्य समिति का नाम—

GFR 19-A
{See Rule 212 (1)}
उपयोगिता प्रमाण पत्र

क्रसं	पत्र संख्या एवं दिनांक	धनराशि

प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय वर्षमें विभाग द्वाराके पक्ष में उपरोक्त वर्णित पत्र सं0 के माध्यम से स्वीकृत अनुदान रु0.....एवं विगत वित्तीय वर्ष में अव्ययित धनराशि रु0.....जिसका कुल योग रु0होता है। उक्त धनराशि से रु0का व्ययहेतु, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत थी, किया गया एवं शेष अनउपयोगित धनराशि रु0विभाग (सरकार) को पत्र संख्या.....दिनांक.....के माध्यम से सरेण्डर की जा चुकी है। जो अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाले अनुदान में समायोजित कर ली जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि जिन शर्तों के अधीन अनुदान स्वीकृत किया गया था, उन शर्तों को पूर्ण किया गया है/ किया जा रहा है। निम्नलिखित जाँचों द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि अनुदान की धनराशि जिस कार्य हेतु स्वीकृति की गयी थी, उसी कार्य में वास्तविक रूप से व्यय की गयी है। सत्यापन हेतु की गयी जाँचों का विवरण

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

जन आरोग्य समिति के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर

चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर

लेखाकार के हस्ताक्षर

[Signature]

E-व्यय विवरण पत्र

गतिविधि	A	B	C	D=(B+C)	E	F	G=(E+F)	H=(A+D)-G
	वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में उपलब्ध धनराशि	प्राप्त धनराशि (वर्तमान माह में)	धनराशि (वर्तमान माह में)	अब तक प्राप्त कुल धनराशि (वर्तमान वित्तीय वर्ष में)	व्यय की गयी धनराशि (वर्तमान वित्तीय वर्ष में विगत माह तक)	व्यय की गयी धनराशि (वर्तमान वित्तीय वर्ष में)	अब तक व्यय की धनराशि (वर्तमान वित्तीय वर्ष में)	अव्ययित अवशेष धनराशि

F -प्राप्तियाँ एवं भुगतान प्रपत्र (असंबद्ध धनराशि तथा अन्य स्रोतों से आय) प्राप्तियाँ और भुगतान 1 अप्रैल 20..... से 31 मार्च 20..... की अवधि के लिए

प्राप्ति(Receipts)			भुगतान (payments)		
विवरण	धनराशि (₹0)	धनराशि (₹0)	विवरण	धनराशि (₹0)	धनराशि (₹0)
उपलब्ध धनराशि			आउटसोर्स गतिविधि		
उपलब्ध नगद धनराशि			उपभोग सामग्री		
बैंक खाते में उपलब्ध धनराशि			औषधियाँ		
सरकार से प्राप्तियाँ			उपकरण		
दान / चन्दा से प्राप्तियाँ			फर्नीचर		
सी0एस0आर0 से प्राप्तियाँ			लिनेन		
अन्य संस्थानों से प्राप्तियाँ			कर्नीजेन्सी		
बैंक खाते पर प्राप्त ब्याज			प्रशिक्षण		
अन्य			रखरखाव एवं मरम्मत		
			निर्माण कार्य		
			मुद्रण		
			शेष धनराशि—		
			नगद धनराशि		
			बैंक खाते में धनराशि		
कुल			कुल		